न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा,आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 26 / 2023
आदेश दिनांक : 27.03.2024

गुलाब बानों पुत्री स्व. जमाल खॉं निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू

..........वादीनी

बनाम

1. हाजरा बानों पुत्री स्व. भवरूं खां
2. अलहमदो बानों पुत्री स्व. भंवरू खां
3. फूले खां पुत्र स्व. भंवरू खां
4. रणजीत खां पुत्र स्व. भंवरू खां
5. नियामत खां स्व. भंवरू खां
6. फरीद खां पुत्र स्व. भंवरू खां
7. मुराद खां स्व भंवरू खां
8. बशीरा बानों पत्नी स्व. जलाल खां
9. शफी खां पुत्र स्व. जलाल खां
10. रईस खां पुत्र स्व. जलाल खां
11. यासमीन बानों पुत्री स्व. जलाल खां
12. शहनाज बानों पुत्री स्व. जलाल खां
13. सकीला बानों पुत्री स्व. जलाल खां
14. अहमद खां पुत्र स्व. जमाल खां
15. पीरू खां पुत्र स्व. जमाल खां
16. जोरावर खां पुत्र स्व. यासिन खां
17. शौकत खां पुत्र स्व. यासिन खां
18. भादर खां पुत्र स्व. यासिन खां
19. अकबर खां पुत्र स्व. यासिन खां
20. युसुफ खां पुत्र स्व. यासिन खां
21. सुगरा पुत्री स्व. यासिन खां
22. बिलकेश पुत्री स्व. यासिन खां
23. ईनायत खां पुत्र अलादीन खां
24. इब्राहीम खां पुत्र अलादीन खां
25. सुलेमान खां पुत्र अलादीन खां
26. लियाकत खां पुत्र अलीम खां

    1 ता 26 समस्त निवासीगण सुजानगढ़ जिला चूरू, राज.

27. श्रीमान् तहसीलदार साहब (उपपंजीयक महोदय) सुजानगढ़

......प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, रेकॉर्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु

उपरिथतः–

1. श्री अशोक कुमार पारीक एडवोकेट वादीनी।
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25
3. श्री पेरोकार राज. राज्य पक्ष की ओर से

–: आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:24 IST
Reason: SelfAttested

इस आदेश के जरिये प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी. पी. सी. का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र धारा 11 सी. पी. सी. के जरिये प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 की ओर से निवेदन रहा कि वादीनी/अप्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत वाद सीपीसी की धारा 11 के द्वारा बाधित है। [illegible] खेत खसरा संख्या 163 रकबा 0.9989 हैक्टेयर वाके रोही दुलिया के संबंध में वादीनी के पिता स्व. [illegible] खां ने

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

इन्हीं पक्षकारों के मध्य एक राजस्व वाद घोषणात्मक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन व कृषि भूमि के विभाजन हेतु न्यायालय श्रीमान् सहायक कलेक्टर , रतनगढ़ के समक्ष न.मु. 359/1986 अनुवानी स्व. जमाल खां बनाम सुलेमान खां वगै. प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 30.07.1991 को उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ ने कर दिया था जिसकी अपील भू–राजस्व अपील अधिकारी महोदय बीकानेर को अपील संख्या 46/2000 की थी जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2002 को कर दिया जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जिसकी अपील डिक्री संख्या 2002/4513/चूरू थी जिसका निर्णय माननीय राजस्व मण्डल बोर्ड अजमेर ने दिनांक 16.02.2012 को कर दिया जिसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में की गई जो की एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 8395/2012 उनवानी भवरू खां बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान थी जिसका निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.05.2015 को कर दिया जिसकी डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 560/2015 उनवानी भवरू खां बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान था जिसका निर्णय माननीय राज. उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.03.2023 को कर दिया है जो अन्तिम निर्णय हो चुका है। वादीनी के पिता द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है तथा वादीनी के पिता का वादगत संपति में कोई हक व हिस्सा नहीं होना माना है इसलिए उसी संपति खेत खसरा संख्या 163 रकबा 0.9989 हैक्टेयर रोही दुलिया के संबंध में वादीनी को पुनः वाद पेश करने का अधिकार शेष नहीं रहता है। वादीनी चाहे तो वादगत खेत के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत दिल्ली में अपील कर सकती है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक ही संपति को लेकर उन्हीं पक्षकारों या उनके उतराधिकारियों द्वारा एक बार अन्तिम हो चुके निर्णय को लेकर पुनः वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जिसे सीपीसी की धारा 11 में वर्जित किया गया है। वादीनी ने न्यायालय को गुमराह कर झूठे तथ्य न्यायालय के समक्ष रखकर दावा प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित है। अतः वाद वादीनी इसी स्टेज पर खारीज फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का वादीनी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार वादीनी ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया जाता है क्यों कि वादगत खेत खसरा संख्या 163 रकबा 0.9989 रोही ग्राम दुलिया बाबत वादीनी के पिता स्व. जमाल खां ने कोई वाद पेश किया हो तो वादीनी को कोई जानकारी नहीं है क्यों कि वादीनी को उस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था इसलिए ना तो वादीनी को वाद की जानकारी है ना ही किसी वाद के फैसले होने की तारीख की जानकारी है ना ही किसी अपील की कोई जानकारी रही है वादगत खेत पैतृक संपति होने से वादीनी खेत में स्वामित्व हक हिस्सा कनूनन रखती है और पूर्व में अगर वादगत खेत बाबत कोई भी कार्यवाही किसी व्यक्ति द्वारा की गई है तो वादीनी को पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिए था और पूर्व वाद की कोई सूचना नहीं रही है वादगत खेत से सम्बन्धित कोई भी कार्यवाही या कृत्य किया गया है वो वादीनी के जानकारी के अभाव में हुआ है। पूर्व के मुकदमों की जानकारी नहीं होने व किसी भी वाद में पक्षकार नहीं होने के आधार पर वादीनी को वाद लाने का अधिकार प्राप्त है इसलिये प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी. पी. सी खारीज योग्य है खारीज किया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश धारा 11 सी. पी. सी. पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये निवेदन किया कि वादीनी के पिता ने न्यायालय सहायक कलक्टर सुजानगढ़ को इसी वादगत सम्पति खेत खसरा संख्या 163 रोही ग्राम दुलिया तहसील सुजानगढ़ में न.मु. 358/86 उनवानी स्व. जमाल खां बनाम सुलेमान खां आदि वाद प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय 30.07.1991 को कर वाद डिक्री कर दिया गया जिसकी अपील न्यायालय श्रीमान् भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपील संख्या 46/2000 उनवानी सुलेमान खां आदि बनाम स्व. जमालखां आदि [illegible] दिनांक 24.05.2002 को कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुजानगढ़ का निर्णय [illegible] 30.07.1991 को बहाल रखा गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व [illegible] 4513 उनवानी सुलेमान खां आदि अनाम भवरू खां आदि में प्रस्तुत [illegible] प्रस्तुत की, [illegible] माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 16.02.2012 [illegible] कलक्टर सुजानगढ़ के निर्णय दिनांक 30.07.1991 तथा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधि[illegible] बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.05.2002

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

को अपास्त करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में की गई जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.05.2015 को निर्णय कर दिया जिसकी डी.बी. में स्पेशल रिट संख्या 560/2015 उनवानी भवरूं खां बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि है जिसका निर्णय माननीय न्यायालय ने 10.03.2023 को कर दिया तथा वादीनी के पिता की ओर से प्रस्तुत वाद को खारीज कर दिया तथा वादगत सम्पति में कोई हिस्सा नहीं माना जिसका अन्तिम निर्णय किया जा चुका है।

सीपीसी की धारा 11. के अनुसार एक ही सम्पति को लेकर उन्हीं पक्षकारों या उनके उतराधिकारियों द्वारा एक बार अंतिम हो चुके निर्णय को लेकर पुनः वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिस कारण वादीनी का वाद खारीज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीनी ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया ओर अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीनी के पिता स्व. जमाल खां ने कोई वाद पेश किया हो तो वादीनी को जानकारी नहीं है ना ही वादीनी को किसी वाद में पक्षकार बनाया है बल्कि वादगत सम्पति पैतृक है जिसमें वादीनी स्वामित्व हक हिस्सा कानूनन रखती है। इसलिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 11 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है, खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। वादीनी द्वारा वादगत सम्पति खसरा संख्या 163 रकबा 0.9989 हैक्टेयर रोही ग्राम दुलिया तहसील सुजानगढ़ में स्थित है जिसमें वादीनी के पिता द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें अन्तिम निर्णय डी.बी. स्पेशल अपील रिट में माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में किया गया जिसमें वादीनी के पिता का वादगत सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं माना है। सीपीसी की धारा 11 में उल्लेख है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं तो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, जिसमें अन्तिम विनिश्चय हो चुका है की सुनवाई नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वादीनी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का वादाधार उत्पन्न नही होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादीनी वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 के प्रार्थना पत्र धारा 11 सी. पी. सी. स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 अन्तर्गत धारा 11 स्वीकार किया जाकर वाद वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण नामन्जूर किया जाकर खारीज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:24 IST
Reason: SelfAttested